भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3
उत्तर दिनांक 29/01/2026 को दिया गया

परमाणु क्षमता का विस्तार

3. श्रीमती किरण चौधरी
श्री लहर सिंह सिरोया
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी
श्री नरहरी अमीन

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार भारत की स्वच्छ ऊर्जा कार्यनीति के अंतर्गत 2025-2035 की अवधि के दौरान नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित स्थलों और संस्थापित क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित क्षमता संवर्धन भारत के नेट-ज़ीरो और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों के अनुरूप हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सार्वजनिक या निजी संस्थाओं के साथ किसी वित्तीय या तकनीकी सहयोग की परिकल्पना की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) व (ख) हां, आठ नाभिकीय रिएक्टर वर्तमान में निर्माणाधीन हैं और बारह रिएक्टर पूर्व-परियोजना चरण में क्रियान्वयनाधीन हैं, इस प्रकार कुल मिलाकर इन रिएक्टरों की क्षमता 14,600 मेगावाट है। प्रत्येक संयंत्र का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	**स्थल**	**परियोजना**	**क्षमता (मेगावाट)**
निर्माण/कमीशनन के अधीन परियोजनाएं			
राजस्थान	रावतभाटा	आरएपीपी-8	1 X 700
तमिलनाडु	कुडनकुलम	केकेएनपीपी-3 व 4	2 X 1000
		केकेएनपीपी-5 व 6	2 X 1000
हरियाणा	गोरखपुर	जीएचएवीपी-1 व 2	2 X 700
तमिलनाडु	कल्पाक्कम	पीएफबीआर #	1 X 500

पूर्व-परियोजना गतिविधियों के अधीन परियोजनाएं			
कर्नाटक	कैगा	कैगा-5 व 6	2 X 700
हरियाणा	गोरखपुर	जीएचएवीपी-3 व 4	2 X 700
मध्य प्रदेश	चुटका	चुटका-1 व 2	2 X 700
राजस्थान	माही बांसवाड़ा	माही बांसवाड़ा-1 व 2*	2 X 700
		माही बांसवाड़ा-3 व 4*	2 X 700
तमिलनाडु	कल्पाक्कम	एफबीआर-1 व 2 #	2 X 500

** माही बांसवाड़ा-1 व 2 और माही बांसवाड़ा-3 व 4 का क्रियान्वयन एनपीसीआईएल और एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम, अश्विनी द्वारा किया जा रहा है।*

#भाविनि वर्तमान में कल्पाक्कम, तमिलनाडु में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप द्रुत प्रजनक रिएक्टर (पीएफबीआर) परियोजना के कमीशनन का कार्य कर रही है। सरकार ने कल्पाक्कम, तमिलनाडु में एफबीआर 1 व 2 परियोजना की 2 X 500 मेगावाट की द्वि-यूनिटों के लिए पूर्व-परियोजना गतिविधियां संचालित करने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है। पीएफबीआर के प्रथम क्रांतिकता प्राप्त होने के उपरांत, एफबीआर 1 व 2 परियोजनाओं की वित्तीय मंजूरी के लिए सरकार से संपर्क किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट क्षमता प्राप्त करने की नाभिकीय ऊर्जा मिशन (एनईएम) की कार्ययोजना के भाग के अंतर्गत, तीन और परियोजनाएँ केएपीपी-5 व 6 (2 X 700 मेगावाट), आरएपीपी-9 व 10 (2 X 700 मेगावाट) और एनएपीपी-3 व 4 (2 X 700 मेगावाट) को स्थापित किए जाने की भी वर्ष 2035 तक योजना बनाई गई है।

(ग) नाभिकीय ऊर्जा एक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल स्रोत है, जो 24X7 आधारभूत भार (बेस लोड) के रूप में विद्युत उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, इसमें देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपार क्षमता है। नाभिकीय ऊर्जा का जीवनचक्र उत्सर्जन, जलविद्युत और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के उत्सर्जन के बराबर ही हैं। इस प्रकार, भारत के वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में नाभिकीय ऊर्जा महत्वपूर्ण योगदान देगी।

(घ) व (ङ) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के संबंध में, केकेएनपीपी-3 से 6 परियोजना रूसी परिसंघ के तकनीकी सहयोग से कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनमें रूस आंशिक ऋण हेतु रूसी राज्य क्रेडिट प्रदान कर रहा है।

शेष परियोजनाएँ स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) पर आधारित हैं। इनमें से माही बांसवाड़ा परियोजना (4 X 700 मेगावाट) पीएचडब्ल्यूआर का क्रियान्वयन अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड (अश्विनी) द्वारा किया जा रहा है, जो एनपीसीआईएल (51%) और एनटीपीसी लिमिटेड (49%) का संयुक्त उद्यम (जेवी) है। शेष परियोजनाओं का कार्यान्वयन एनपीसीआईएल द्वारा किया जा रहा है।

हाल ही में अधिनियमित शांति अधिनियम, 2025 भविष्य में निजी भागीदारी को सक्षम बनाएगा।

*****